

2

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

प्रसन्न चन्द ओस्तवाल बनाम लो.सू.अ.( तहसीलदार भोपालगढ )  
सू.अ.अ. अपील संख्या 03/2018

नं0 व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी Prassan Chand Ostwal, No. 43, Strotten Muthia Mudali Street, 1<sup>st</sup> Floor, Sowcarpet, Chennai- 600079 ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 11.11.2017 में उसके द्वारा (1) दिनांक 01.05.2014 से 30.09.2017 तक पदस्थापित लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार भोपालगढ) रहे उनका नाम व वर्तमान में पदस्थापित जगह का नाम व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार भोपालगढ ) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार भोपालगढ ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष ( तहसीलदार भोपालगढ ) से जरिये पत्रांक 44 दिनांक 18.01.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि आवेदक ने आवेदन में कुल 2 बिन्दुओं के बारे में सूचना चाही जाने पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/रीडर/2017/487 दिनांक 13.12.17 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ प्रार्थी प्रसन्नचंद को दी गई सूचना के संदर्भ में पत्रांक 487 दिनांक 13.12.17 की प्रति भी संलग्न की है, पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को नियत अवधि में सूचित नहीं किया गया तथा उसके बाद भी प्रार्थी का पता पूर्ण नहीं लिखते हुए प्रेषित की गई। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें पत्र प्राप्त नहीं हुआ होगा। अतः तहसीलदार भोपालगढ को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में करे। तहसील कार्यालय से प्राप्त पत्र की प्रति इस कार्यालय से प्रेषित किया जावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं भोपालगढ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।